

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक : 13 अप्रैल, 2018

विषय:- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2017 के प्रस्तर 8.1.2 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2017 मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति के प्रस्तर 8.1.2 में निम्नवत संशोधन किये जाने का निर्णय सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह संशोधन उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2017 (प्रथम संशोधन-2018) कहा जायेगा।

प्रस्तर सं०	वर्तमान व्यवस्था	एतद् द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
8.1.2	<p><u>श्रेणी-2 वितरण लाईसेन्सी को सोलर पावर विक्रय हेतु वृहद सोलर पावर स्टैण्ड अलोन परियोजना की स्थापना:</u></p> <p>उक्त श्रेणी की सोलर पावर की परियोजनाओ की स्थापना के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) नोडल एजेन्सी होगी। इन परियोजनाओ की न्यूनतम क्षमता किसी एक स्थल पर 05 मेगावाट होगी। सोलर पावर परियोजनाओ का आवंटन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन. आर.ई.), भारत सरकार की</p>	<p><u>श्रेणी-2 वितरण लाईसेन्सी को सोलर पावर विक्रय हेतु वृहद सोलर पावर स्टैण्ड अलोन परियोजना की स्थापना:</u></p> <p>उक्त श्रेणी की सोलर पावर की परियोजनाओ की स्थापना के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) नोडल एजेन्सी होगी। इन परियोजनाओ की न्यूनतम क्षमता किसी एक स्थल पर 05 मेगावाट होगी। सोलर पावर परियोजनाओ का आवंटन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन. आर.ई.), भारत सरकार की दिशा-निर्देशो के अनुसार आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक</p>

101

16/4/18

निदेशक

100

श्री 011 (4K)

16/4/18

16/4/18

16/4/18

श्री 011 (4K)


	<p>दिशा-निर्देशों के अनुसार आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के माध्यम से किया जायेगा।</p> <p>प्रोत्साहन</p> <p>1- राज्य के बुन्देलखण्ड एवं पूर्वान्चल में स्थापना हेतु 05 मेगावाट एवं अधिक क्षमता की प्रस्तावित सोलर पावर परियोजनाओं के ग्रिड संयोजन हेतु अधिकतम पारेषण लाईन के निर्माण की लागत का व्यय राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार वहन किया जायेगा :-</p> <p>05 मेगावाट से 10 मेगावाट क्षमता के लिए 10 किलोमीटर >10 मेगावाट से 50 मेगावाट क्षमता के लिए 15 किलोमीटर >50 मेगावाट के लिए 20 किलोमीटर</p> <p>परियोजना विकासकर्ता द्वारा पारेषण लाईन के निर्माण की अवशेष लागत, बे तथा सबस्टेशन के निर्माण का व्यय वहन किया जायेगा। यह प्रोत्साहन स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू)/विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा पारेषण लाईन एवं बे के निर्माण किये जाने की स्थिति में ही देय होगा। अवशेष शुल्क उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये गये रेग्यूलेशन के अनुसार होगा।</p>	<p>बिडिंग के माध्यम से किया जायेगा।</p> <p>प्रोत्साहन</p> <p>1- राज्य में बुन्देलखण्ड एवं पूर्वान्चल क्षेत्र में स्थापना हेतु 05 मेगावाट एवं अधिक क्षमता की सोलर पावर परियोजनाओं के ग्रिड संयोजन हेतु अधिकतम पारेषण लाईन के निर्माण की लागत का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा :-</p> <p>05 मेगावाट से 10 मेगावाट क्षमता के लिए 10 किलोमीटर >10 मेगावाट से 50 मेगावाट क्षमता के लिए 15 किलोमीटर >50 मेगावाट के लिए 20 किलोमीटर</p> <p>(2) सौर ऊर्जा विकासकर्ता द्वारा लाईन का निर्माण उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षण शुल्क जमा कराने के पश्चात ही प्रारम्भ किया जायेगा।</p> <p>(3) सौर ऊर्जा विकासकर्ता द्वारा द्विपथ/एक पथ (Double circuit and single circuit) लाईन का निर्माण नियोजन आवश्यकतानुसार किया जायेगा।</p> <p>(4) सौर ऊर्जा विकासकर्ता द्वारा निर्मित की जानी वाली लाईन पर प्रोत्साहन राशि उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्बन्धित वर्ष में प्रति किलोमीटर लाईन निर्माण हेतु जारी की गयी "दर अनुसूची" के अनुसार एवं वास्तविक निष्पादित</p>
--	---	--

		<p>लागत में जो भी कम हो देय होगी। यह अनुदान प्रोत्साहन धनराशि परियोजना विकासकर्ता को नोडल एजेन्सी द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में पारेषण लाईन निर्माण और परियोजना कमिशनिंग उपरांत सीओडी प्राप्त होने पर अवमुक्त की जायेगी। सौर ऊर्जा विकासकर्ता को प्रतिपूर्ति के रूप में देय अनुदान धनराशि का आंकलन सौर ऊर्जा विकासकर्ता द्वारा निर्माण सम्बन्धित पारेषण कार्य एवं उक्त हेतु किये गये भुगतान का उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये सत्यापन के आधार पर किया जायेगा।</p> <p>(5) वाणिज्यक परिचालन तिथि (सीओडी) के पश्चात सौर ऊर्जा विकासकर्ता द्वारा निर्मित लाईन का स्वामित्व उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/वितरण अनुज्ञप्तिधारी का होगा एवं इसका परिचालन एवं अनुरक्षण उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ही किया जायेगा।</p> <p>(6) सौर ऊर्जा विकासकर्ता द्वारा द्विपथ टावर पर एकल पथ लाईन का निर्माण किया जाता है तो इस दशा में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसी टावर पर दूसरी लाईन का निर्माण करने की स्वतंत्रता/अनुमन्यता होगी और विकासकर्ता की आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।</p> <p>(7) यदि नियोजन इकाई द्वारा यह प्रस्तावित किया जाता है कि सौर ऊर्जा विकासकर्ता द्वारा निर्मित लाईन का किसी केन्द्र पर लीलो किया जाता है तो उक्त दशा में भी सौर ऊर्जा</p>
--	--	---

2- कम क्षमता की परियोजना की एक साथ पावर पूलिंग की व्यवस्था अनुमन्य होगी।	विकासकर्ता की कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। 2-कम क्षमता की परियोजना की एक साथ पावर पूलिंग की व्यवस्था अनुमन्य होगी।
--	--

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


भवदीय,


(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव ।

संख्या एवं दिनांक: तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
- 5- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, उ० प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त नीति के अनुसार अग्रेत्तर अपेक्षित कार्यवाही तत्काल कराने तथा उक्त नीति का यथा आवश्यक प्रचार/प्रसार एवं प्रकाशन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।
- 8- उप महानिदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ।
- 9- राज्य समन्वयक, सीईजी, को इस आशय से प्रेषित कि "उ०प्र० सौर ऊर्जा नीति-2017" (प्रथम संशोधन-2018) को अपने विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चारुलता)
सयुक्त सचिव।